रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 488] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 14, 2016/आषाढ़ 23, 1938
No. 488] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 14, 2016/ASADHA 23, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 695(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (जिसे यहां इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 469 की उप धारा (1) और उप धारा (2) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके बाद मूल नियम कहा गया है) में, –

(i) नियम 2 में खंड (घ) के लिए निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(घ) "लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट" से लागत लेखापरीक्षक द्वारा सम्यक रूप से लेखापरिक्षित और हस्ताक्षरित रिपोर्ट और लागत कथन अभिप्रेत हैं, जो इन नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं और इसमें ऐसी रिपोर्ट के साथ उपाबद्ध या उसमें शामिल रिपोर्ट के अनुलग्नक, उपाबंध, अर्हताएं या संप्रेक्षण आदि शामिल हैं,;

(ii) नियम 3 में सारणी (क) और सारणी (ख) के लिए क्रमशः निम्नलिखित सारणियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"सारणी

(क) विनियमित सेक्टर :-

क्र.सं.	उद्योग/सेक्टर/उत्पाद/सेवा	केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम शीर्षक (जहां लागू हो)
1.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) के अधीन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं को पारेषण या ग्रहण माध्यमों के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही और विनियमित किए संकेत, सिग्नल, लेख, चित्र और ध्वनि या किसी प्रकार की आसूचना (प्रसारण सेवाओं से भिन्न) दूरसंचार सेवाएं जिसमें ऐसे कार्यकलाप शामिल हैं जिनके लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अधीन दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी प्राधिकार या अनुज्ञप्ति अपेक्षित है;	लागू नहीं होता।
2.	विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन संबंधित विनियामक निकाय या प्राधिकरण द्वारा विनियमित विद्युत का उत्पादन, पारेषण, वितरण और पूर्ति;	उत्पादन – 2716; अन्य कार्यकलाप– लागू नहीं होता।
3.	पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) के अधीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा विनियमित कार्यकलापों सहित;	2709 से 2715; अन्य कार्यकलाप– लागू नहीं होता।
4.	औषधी और भेषजीय;	2901 से 2942; 3001 से 3006
5.	उर्वरक;	3102 से 3105
6.	शर्करा और औद्योगिक एल्कोहल;	1701; 1703; 2207

(ख) <u>गैर-विनियमित सेक्टर</u>

क्र.सं.	उद्योग/सेक्टर/उत्पाद/सेवा	केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम शीर्षक (जहां लागू हो)
1.	रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में उपयोग होने वाली मशीनरी और यांत्रिक उपष्कर, अनुषंगी मद या मदों को छोड़कर; **स्पष्टीकरण:** इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए, ऐसी कोई कंपनी जो इस खंड के अधीन उपयोग के लिए अनन्य रूप से पूर्ति की जा रही किसी मद या मदों से संबंधित है, को इन नियमों के समाविष्ट कंपनी माना जाएगा।	8401; 8801 से 8805; 8901 से 8908
2.	टर्बो जेट और टर्बो नोदक;	8411
3.	शस्त्र, गोला-बारूद और विस्फोटक;	3601 से 3603;

IndiaCode

		9301 से 9306
4.	प्रोपलेंट चूर्ण; तैयार विस्फोटक (प्रोपलेंट चूर्ण से भिन्न); सुरक्षा फ्यूज; विस्फोटक फ्यूज; अघात या विस्फोटक टोपियां; पलीता; विद्युत अघात;	3601 से 3603
5.	राडार साधित्र, रेडियो संचालन सहायक साधित्र तथा रेडियो दूरस्थ नियंत्रण साधित्र;	8526
6.	टैंक और अन्य बख्तरबंद लड़ाकू यान, मोटरीकृत, चाहे शस्त्रों से फिट हों या नहीं तथा ऐसे यानों के हिस्से-पुर्जे, जिनका नब्बे प्रतिशत या अधिक निधियों (कंपनी में किए गए निवेश) सरकारी या सरकारी अभिकरणों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है;	8710
7.	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 47अ के अधीन प्रमुख बंदरगाहों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी जहाज या वस्तुओं के संबंध में बंदरगाह द्वारा प्रदान की जा रही स्टीवेडोरिंग, पायलटेज, हालिंग, मूरिंग, रिमूरिंग, हुकिंग, मेजरिंग, लदाई और बिना लदाई सेवाएं;	लागू नहीं होता।
8.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 27) के अधीन विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित और विमानपत्तनों द्वारा दी जा रही हवाई यातायात प्रबंध, वायुयान प्रचालन, भू-सुरक्षा सेवाएं, भू-रख-रखाव, स्थोरा सुविधाएं तथा ईंधन की आपूर्ति जैसी वैमानिकी सेवाएं;	लागू नहीं होता।
9.	लौह और इस्पात;	7201 से 7229; 7301 से 7326
10.	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की अनुसूची-6 में यथाविनिर्दिष्ट पैरा संख्या (1)(क) के तत्स्थानी सड़क और अन्य अवसंरचना परियोजनाएं;	लागू नहीं होता।
11.	रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) के अधीन गठित रबड़ बोर्ड द्वारा विनियमित किए जा रहे उत्पादों सहित रबड़ और संबद्ध उत्पाद;	4001 से 4017
12.	कॉफी और चाय;	0901 से 0902
13.	रेल या ट्राम ईंजन, चल स्टॉक, रेल या ट्राम फिक्सचर और फिटिंग, यांत्रिक (वैद्युत यांत्रिक सहित) सभी प्रकार के यातायात संकेत उपस्कर;	8601 से 8608
14.	सीमेंट;	2523; 6811 से 6812
15.	अयस्क और खनिज उत्पाद;	2502 से 2522; 2524 से 2526; 2528 से 2530; 2601 से 2617
16.	खनिज ईंधन (पेट्रोलियम को छोड़कर), खनिज तेल आदि;	2701 से 2708
17.	आधार धातु;	7401 से 7403; 7405 से 7413; 7419; 7501 से 7508; 7601 से

IndiaCode

		7614; 7801 से 7802; 7804; 7806; 7901 से 7905; 7907; 8001; 8003; 8007; 8101 से 8113
18.	अकार्बनिक रसायन, मूल्यवान धातुओं के कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक, रेडियोधर्मी तत्वों या आइसोटोप की दुर्लभ धातुएं और कार्बनिक रसायन;	2801 से 2853; 2901 से 2942; 3801 से 3807; 3402 से 3403; 3809 से 3824
19.	जूट और जूट उत्पाद;	5303, 5310
20.	खाद्य तेल;	1507 से 1518
21.	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-6 में यथाविनिर्दिष्ट पैरा संख्या (5)(क) के अनुसार संनिर्माण उद्योग;	लागू नहीं होता।
22.	स्वास्थ सेवाएं अर्थात् अस्पताल, निदान केन्द्र, नैदानिक केन्द्र या जांच प्रयोगशाला के रूप में साधारणतया कार्यरत या चल रहीं कंपनियां;	लागू नहीं होता।
23.	शिक्षा सेवाओं में लगी हुई कंपनियां जिसके अंतर्गत लोको प्रकार में आने वाली ऐसी सेवाओं या सामाजिक कल्याण के लिए खर्च की गई राशि शामिल नहीं है जो किसी कारबार का हिस्सा न हो;	लागू नहीं होता।
24.	दुग्ध पाउडर;	0402
25.	कीटनाशक;	3808
26.	प्लास्टिक और पॉलीमर;	3901 से 3914; 3916 से 3921; 3925
27.	टायर और ट्यूब;	4011 से 4013
28.	कागज;	4801 से 4802
29.	वस्त्र;	5004 से 5007; 5106 से 5113; 5205 से 5212; 5303; 5310; 5401 से 5408; 5501 से 5516
30.	शीशा;	7003 से 7008;

IndiaCode

		7011; 7016
31.	अन्य मशीनरी और यांत्रिक साधित्र;	8402 से 8487
32.	विद्युत या इलेक्ट्रोनिक मशीनरी;	8501 से 8507; 8511 से 8512; 8514 से 8515; 8517; 8525 से 8536; 8538 से 8547
33.	निम्नलिखित चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन, आयात और निर्यात या व्यापार, अर्थात् :- (i) कार्डिएक स्टेंट्स; (ii) ड्रग इलुटिंग स्टेंट्स; (iii) केथेटर्स; (iv) इंट्रा ओकुलर लेंस; (v) बोन सिमेंट्स; (vi) हार्ट वाल्व्स; (vii) ऑर्थोपिडिक इंप्लांट्स; (viii) इंटरनल प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट्स; (ix) स्कल्प वेन सेट; (x) डीप ब्रेन स्टिमुलेटर; (xi) वेंट्रीकुलर पेरिफेरल शूड; (xii) स्पायनल इंप्लांट्स; (xiii) ऑटोमैटिक इंपलपेबल कार्डिएक डेफ्लोबिलेटर; (xiv) पेसमेकर (अस्थायी और स्थायी); (xv) पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट और वेंट्रीकूलर सेप्टल डिफेक्ट क्लोजर डिवाइस; (xvi) कार्डिएक रि-सिंक्रोनाइज चिकित्सा; (xvii) यूरेथ्रा स्पिनिक्टर डिवाइस; (xviii) स्लिंग पुरुष या महिला; (xix) प्रोस्टेट ऑक्लुजन डिवाइस; और (xx) यूरेथ्रल स्टेंट्स।	9018 से 9022

"

(iii) नियम 4 के उपनियम (3) के खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

IndiaCode

"(iii) सीमित उत्पादन संयंत्र के माध्यम से सीमित उपयोग के लिए विद्युत उत्पादन में लिप्त। इस प्रयोजन के लिए, "सीमित खपत संयंत्र" का वही अर्थ होगा जो विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 में दिया गया है"

(iv) नियम 6 के उपनियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु ऐसी नियुक्ति की जाने से पहले, ऐसी नियुक्ति के लिए लागत लेखापरीक्षक की लिखित सम्मति और लागत लेखापरीक्षक से एक प्रमाण पत्र, जैसा कि उपनियम (1क) में उपाबंध है, प्राप्त किया जाएगा:

(v) नियम (6) के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् -

"(1क) उपनियम (1) के अधीन नियुक्त लागत लेखारीक्षक इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि –

(क) यथास्थिति, व्यक्ति या फर्म, नियुक्ति के लिए पात्र है और इस अधिनियम, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) और इसके तहत बने नियमों एवं विनियमों के तहत नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है;

(ख) यथास्थिति, व्यक्ति या फर्म, उक्त अधिनियम की धारा 141 में विनिर्दिष्ट मापदंड, जहां तक लागू हैं, को पूर्ण करता है;

(ग) प्रस्तावित नियुक्ति इस उक्त अधिनियम के प्राधिकरण द्वारा या के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर है; और

(घ) लागत लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म या लेखापरीक्षा फर्म के किसी भागीदार के विरुद्ध आचरण के वृत्तिक मामले के संबंध में लम्बित कार्रवाहियों की सूची, जैसा कि प्रमाणपत्र में प्रकटीकरण किया गया है, सत्य और सही है।"

(vi) नियम 6 में उपनियम (3) में निम्नलिखित परंतुक अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"परंतु इन नियमों के तहत नियुक्त किए गए लागत लेखापरीक्षक को उसके कार्यकाल के समाप्त होने से पहले लागत लेखापरीक्षक को सुने जाने का एक उचित अवसर देने और इस तरह हटाए जाने के कारणों का लिखित अभिलेख देने के बाद एक बोर्ड संकल्प द्वारा हटाया जा सकेगा;

परंतु यह और कि दूसरे लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति की सूचना के लिए केन्द्रीय सरकार को दायर किए जाने वाले प्ररूप सीआरए-2 को सुसंगत बोर्ड संकल्प के साथ संलग्न किया जाएगा;

परंतु यह भी कि इस उपधारा में ऐसा कुछ अंतर्विष्ट नहीं है जो कंपनी के ऐसे कार्यालय से त्यागपत्र देने के लागत लेखाकार के अधिकार के प्रतिकूल होगा।

(vii) नियम 6 में उपनियम (3क) के बाद निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्-

"(3ख) लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य कथन सहित, लागत विवरण रिपोर्ट करने के लिए लागत लेखापरीक्षक को सौंपने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी भी निदेशक द्वारा बोर्ड की ओर से हस्ताक्षर किए जाने से पहले निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(viii) नियम 6 में, उपनियम (5) के लिए निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"(5) प्रत्येक लागत लेखापरीक्षक अपनी सम्यक रूप से हस्ताक्षरित रिपोर्ट उस वित्तीय वर्ष, जिससे वह संबंधित है, की समाप्ति के एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर कंपनी के निदेशक मंडल को अग्रेषित करेगा और निदेशक मंडल ऐसी रिपोर्ट, विशेषतः इसमें उल्लिखित आरक्षण या अहर्ता, पर विचार और जांच करेगा।"

(ix) नियम 6 में, उपनियम (6) के लिए निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"(6) इन नियमों के अधीन प्रत्येक कंपनी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर इसमें समाविष्ट प्रत्येक आरक्षण या अहर्ता पर पूर्ण जानकारी और स्पष्टीकरण सहित कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2015 में विनिर्दिष्ट रीति से विस्तारणीय व्यवसाय रिपोर्टिंग भाषा में प्ररूप सीआरए-4 में, कंपनी (रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ केन्द्रीय सरकार को सौंपेगी।"

[फा. सं. 1/40/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 425(अ) तारीख 30 जून, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 01(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2014 और सा.का.नि. 486(अ) तारीख 12 जून, 2015 द्वारा उसमें संशोधन किए गए थे।

indiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2016

G.S.R. 695(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 and section 148 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)(hereinafter referred as the Act), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (cost records and audit) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (cost records and audit) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Companies (cost records and audit) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the Principal Rules),—

(i) in rule 2, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

"(d) "cost audit report" means the duly signed cost auditor's report on the cost records examined and cost statements which are prepared as per these rules, including attachment, annexure, qualifications or observations attached with or included in such report;"

(ii) in rule 3, for Table (A) and Table (B), the following Tablesshall be substituted, namely:-

"TABLE

(A) Regulated Sectors

Sl. No.	Industry/ Sector/ Product/ Service	Central Excise Tariff Act Heading (wherever applicable)
1.	Telecommunication services made available to users by means of any transmission or reception of signs, signals, writing, images and sounds or intelligence of any nature and regulated by the Telecom Regulatory Authority of India under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997); including activities that requiresauthorisation or license issued by the Department of Telecommunications, Government of India under Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);	Not applicable.

2.	Generation, transmission, distribution and supply of electricity regulated by the relevant regulatory body or authority under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);	Generation- 2716; Other Activity- Not Applicable
3.	Petroleum products; including activities regulated by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006);	2709 to 2715; Other Activity- Not Applicable
4.	Drugs and pharmaceuticals;	2901 to 2942; 3001 to 3006.
5.	Fertilisers;	3102 to 3105.
6.	Sugar and industrial alcohol;	1701; 1703; 2207.

(B) Non-regulated Sectors

Sl. No.	Industry/ Sector/ Product/ Service	Central Excise Tariff Act Heading (wherever applicable)
1.	Machinery and mechanical appliances used in defence, space and atomic energy sectors excluding any ancillary item or items; Explanation. - For the purposes of this sub-clause, any company which is engaged in any item or items supplied exclusively for use under this clause, shall be deemed to be covered under these rules	8401; 8801 to 8805; 8901 to 8908.
2.	Turbo jets and turbo propellers;	8411
3.	Arms, ammunitions and Explosives;	3601 to 3603; 9301 to 9306.
4.	Propellant powders; prepared explosives (other than propellant powders); safety fuses; detonating fuses; percussion or detonating caps; igniters; electric detonators;	3601 to 3603
5.	Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus;	8526
6.	Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or not fitted with weapons and parts of such vehicles, that are funded (investment made in the company) to the extent of ninety per cent or more by the Government or Government agencies;	8710
7.	Port services of stevedoring, pilotage, hauling, mooring, re-mooring, hooking, measuring, loading and unloading services rendered by a Port in relation to a vessel or goods regulated by the Tariff Authority for Major Ports;	Not applicable.
8.	Aeronautical services of air traffic management, aircraft operations, ground safety services, ground handling, cargo facilities and supplying fuel rendered by airports and regulated by the Airports Economic Regulatory Authority under the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (27 of 2008);	Not applicable
9.	Iron and Steel;	7201 to 7229; 7301 to 7326
10.	Roads and other infrastructure projects corresponding to para No. (1) (a) as specified in Schedule VI of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);	Not applicable.
11.	Rubber and allied products; including products regulated by the Rubber Board constituted under the Rubber Act, 1947 (XXIV of 1947);	4001 to 4017
12.	Coffee and tea;	0901 to 0902
13.	Railway or tramway locomotives, rolling stock, railway or tramway fixtures and fittings, mechanical (including electro mechanical) traffic signalling equipment's of all kind;	8601 to 8608.
14.	Cement;	2523; 6811 to 6812
15.	Ores and Mineral products;	2502 to 2522; 2524 to 2526; 2528 to 2530; 2601 to 2617
16.	Mineral fuels (other than Petroleum), mineral oils etc.;	2701 to 2708
17.	Base metals;	7401 to 7403; 7405 to 7413; 7419; 7501 to 7508; 7601 to 7614; 7801 to 7802; 7804; 7806; 7901 to 7905; 7907; 8001; 8003; 8007; 8101 to 8113.
18.	Inorganic chemicals, organic or inorganic compounds of precious metals, rare-earth metals of radioactive elements or isotopes, and organic	2801 to 2853; 2901 to 2942; 3801 to 3807; 3402 to 3403; 3809 to

	chemicals;	3824.
19.	Jute and Jute Products;	5303, 5310
20.	Edible Oil;	1507 to 1518
21.	Construction Industry as per para No. (5) (a) as specified in Schedule VI of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);	Not applicable.
22.	Health services, namely functioning as or running hospitals, diagnostic centres, clinical centres or test laboratories;	Not applicable.
23.	Education services, other than such similar services falling under philanthropy or as part of social spend which do not form part of any business;	Not applicable.
24.	Milk powder;	0402
25.	Insecticides;	3808
26.	Plastics and polymers;	3901 to 3914; 3916 to 3921; 3925
27.	Tyres and tubes;	4011 to 4013
28.	Paper;	4801 to 4802.
29.	Textiles;	5004 to 5007; 5106 to 5113; 5205 to 5212; 5303; 5310; 5401 to 5408; 5501 to 5516
30.	Glass;	7003 to 7008; 7011; 7016
31.	Other machinery and Mechanical Appliances;	8402 to 8487
32.	Electricals or electronic machinery;	8501 to 8507; 8511 to 8512; 8514 to 8515; 8517; 8525 to 8536; 8538 to 8547.
33.	Production, import and supply or trading of following medical devices, namely:- (i) Cardiac stents; (ii) Drug eluting stents; (iii) Catheters; (iv) Intra ocular lenses; (v) Bone cements; (vi) Heart valves; (vii) Orthopaedic implants; (viii) Internal prosthetic replacements; (ix) Scalp vein set; (x) Deep brain stimulator; (xi) Ventricular peripheral shud; (xii) Spinal implants; (xiii) Automatic impalpable cardiac deflobillator; (xiv) Pacemaker (temporary and permanent); (xv) Patent ductus arteriosus, atrial septal defect and ventricular septal defect closure device; (xvi) Cardiac re-synchronise therapy ; (xvii) Urethra spinicture devices; (xviii) Sling male or female; (xix) Prostate occlusion device; and (xx) Urethral stents:	9018 to 9022

IndiaCode

"

(iii) in rule 4, in sub-rule (3), after clause (ii), following clause shall be inserted, namely:-

"(iii) which is engaged in generation of electricity for captive consumption through Captive Generating Plant. For this purpose, the term "Captive Generating Plant" shall have the same meaning as assigned in rule 3 of the Electricity Rules, 2005";

(iv) in rule 6, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely: —

"Provided that before such appointment is made, the written consent of the cost auditor to such appointment, and a certificate from him or it,as provided in sub-rule (1A), shall be obtained";

(v) In rule 6, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) The cost auditor appointed under sub-rule (1) shall submit a certificate that—

(a) the individual or the firm, as the case may be, is eligible for appointment and is not disqualified for appointment under the Act, the Cost and Works Accountants Act, 1959(23 of 1959) and the rules or regulations made thereunder;

(b) the individual or the firm, as the case may be, satisfies the criteria provided in section 141 of the Act, so far as may be applicable;

(c) the proposed appointment is within the limits laid down by or under the authority of the Act; and

(d) the list of proceedings against the cost auditor or audit firm or any partner of the audit firm pending with respect to professional matters of conduct, as disclosed in the certificate, is true and correct.";

(vi) in rule 6, in sub-rule (3), the following provisos shall be inserted, namely: —

"Provided that the cost auditor appointed under these rules may be removed from his office before the expiry of his term, through a board resolution after giving a reasonable opportunity of being heard to the Cost Auditor andrecording the reasons for such removal in writing;

Provided further that the Form CRA-2 to be filed with the Central Government for intimating appointment of another cost auditor shall enclose the relevant Board Resolution to the effect;

Provided also that nothing contained in this sub-rule shall prejudice the right of the cost auditor to resign from such office of the company.";

(vii) in rule 6, after sub-rule (3A), following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3B) The cost statements, including other statements to be annexed to the cost audit report, shall be approved by the Board of Directors before they are signed on behalf of the Board by any of the director authorised by the Board, for submission to the cost auditor to report thereon";

(viii) in rule 6, for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(5) Every cost auditor shall forward his duly signed report to the Board of Directors of the company within a period of one hundred and eighty days from the closure of the financial year to which the report relates and the Board of Directors shall consider and examine such report, particularly any reservation or qualification contained therein.";

(ix) in rule 6, for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(6) Every company covered under these rules shall, within a period of thirty days from the date of receipt of a copy of the cost audit report, furnish the Central Government with such report alongwith full information and explanation on every reservation or qualification contained therein, in Form CRA-4in Extensible Business Reporting Language format in the manner as specified in the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting language) Rules, 2015 alongwith fees specified in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.".

[F. No. 1/40/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt.Secy.

Note.-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 425 (E), dated the 30th June, 2014 and amended *vide* number G.S.R. 01(E), dated the 31st December, 2014 and *vide* number G.S.R. 486 (E), Dated the 12th June, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.